न्यायालय राजस्व मंडल, म0प्र0, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक अपील 4351–एक/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 15–10–13 पारित द्वारा आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण कमांक 259/अपील/2011–12.

वराह इंफ्रा स्टट्क्चर जोधपुर द्वारा मु0आ0
रानूसिंह पिता गुलाबसिंह
निवासी बसंत विहार कॉलोनी उज्जैन ----- अपीलांट

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन ----- रिस्पोंडेंट

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी ।
अनावेदक शासन की ओर से अधिवक्ता श्रीमती नीना पाण्डे ।

:: आदेश ::
(आज दिनांक 09 अप्रैल, 2015 को पारित)

यह अपील अपीलार्थी द्वारा आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के प्रकरण कमांक 259/अपील/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 15–10–13 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44(2) के तहत पेश की गई है ।

2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश उल्लिखित होने से उन्हें पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है ।

3/ अपीलांट की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील मेमो में दिए गए आधारों को ही तर्क मानने का अनुरोध किया गया है तथा लिखित बहस भी पेश की गई है । लिखित बहस में मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये हैं कि तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 25–10–10 को अपीलांट के विरूद्ध आदेश पारित किया गया था जिसके विरूद्ध अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जिसमें विद्वान आयुक्त ने दिनांक 11–7–11 को आदेश पारित करते हुए प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया था कि अधीनस्थ न्यायालय अपीलांट को अपने पक्ष समर्थन का समुचित अवसर देकर प्रकरण का गुणदोष पर निराकरण करें किंतु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश का कोई पालन नहीं किया तथा तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश जिसे आयुक्त द्वारा निरस्त

किया जा चुका था को उचित मानते हुए आदेश पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अनुविभागीय अधिकारी को वरिष्ठ न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का अक्षरशः पालन करना चाहिए था ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अवैधानिक है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी इस अवैधानिक आदेश की पुष्टि करने में त्रुटि की गई है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्ती योग्य हैं । इस संबंध में उनके द्वारा 2012 आर.एन. 54 का न्यायदृष्टांत उद्धरित किया गया है ।

यह तर्क दिया गया कि विचारण न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्देशों के बाद कोई साक्ष्य नहीं ली ना ही कोई जांच कराई जबकि संहिता की धारा 247(7) में यह प्रावधान है कि सिद्ध भार शासन पर होता है, शासन को विधिवत साक्ष्य से अपना पक्ष सिद्ध करना चाहिए जो इस प्रकरण नहीं किया गया है ।

यह तर्क दिया गया है कि रिस्पोंडेंट शासन की ओर से तर्क के समय खनिज अधिकारी उपस्थित हुए थे और उनके द्वारा यह स्वीकार किया गया था कि प्रत्यावर्तन आदेश के पश्चात कोई जांच नहीं की गई एवं साक्ष्य नहीं दी गई । जब शासन की ओर से साक्ष्य ही नहीं दी गई है तो धारा 247 (7) संहिता का प्रकरण सिद्ध ही नहीं होता है ।

यह तर्क दिया गया कि अपीलांट को जो कारण बताओ सूचनापत्र दिया गया है वह विधिवत नहीं है । कारण बताओ सूचनापत्र में मूल्य का कोई आधार नहीं दिया गया है न ही सर्वे नं. का कोई स्पष्ट उल्लेख किया गया तथा मिट्टी व मुरम के संबंध में अवैध उत्खनन का लेख किया गया है किंतु कितनी मात्रा में मिट्टी थी व कितनी मात्रा में मुरम था इसका भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है ।

यह तर्क दिया गया कि खनिज निरीक्षक द्वारा न तो कभी मौके पर जाकर स्थल निरीक्षण किया गया एवं न ही पंचों के समक्ष कोई नप्ती की है । खनिज निरीक्षक के कथन भी न्यायालय में नहीं हुए हैं ऐसी स्थिति में खनिज निरीक्षक द्वारा प्रकरण साक्ष्य से सिद्ध नहीं किया गया है । अतः उनके द्वारा प्रस्तुत अवैधानिक प्रतिवेदन के आधार पर आदेश पारित नहीं किया जा सकता है । साक्ष्य विधान अनुसार खनिज निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य है अगर दस्तावेज प्रदर्शित नहीं किए जाते हैं तो विधान अनुसार उनका साक्षिक मूल्य कुछ नही है । इस संबंध में उनके द्वारा न्यायदृष्टांत 1996 आर.एन. 365 तथा 1997 आर. एन. 174 का हवाला दिया गया है ।

यह तर्क दिया गया है कि संहिता की धारा 247(7) में यह प्रावधान है कि उत्खनन के प्रकरणों में प्रमाण भार शासन है और शासन को शंका से परे प्रकरण साक्ष्य से सिद्ध करना चाहिए । मौजूदा प्रकरण में न तो अवैध उत्खनन करते हुए किसी ने देखा है न ही अवैध उत्खनन मौके पर जप्त किया है तथा न ही अवैध

उत्खनन में लाई गई सामग्री जप्त की गई है तथा न ही गढ्ढे के नाप के संबंध में स्पष्ट उल्लेख है । इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरूद्ध है । इस संबंध में उनके द्वारा 1996 आर.एन. 365 एवं 1994 आर.एन. 241 का संदर्भ दिया गया है ।

यह तर्क दिया गया है कि संहिता की धारा 247 (7) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि स्थल निरीक्षण अवैध उत्खननकर्ता की उपस्थिति में किया जाना चाहिए तथा अवैध उत्खनन का दिनांक उल्लिखित किया जाना चाहिए, अवैध उत्खनन की मात्रा का भी लेख किया जाना चाहिए तथा अवैध उत्खनन का मूल्य निर्धारित मापदंडों के अनुसार किया जाना चाहिए । मौजूदा प्रकरण में इसमें किसी भी अनिवार्य प्रावधान का पालन खनिज निरीक्षक ने नहीं किया है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किए जाने योग्य है । इन तर्कों के समर्थन में उनके द्वारा 1976 आर. एन. 453 एवं 474 को संदर्भित किया गया है ।

यह तर्क दिया गया है कि खनिज निरीक्षक ने अपने प्रतिवेदन में कहीं पर भी यह उल्लेख नहीं किया है कि खनिज कितनी सी.बी.आर. का था । मिट्टी कितने सी. बी.आर. की थी, कितनी मात्रा में मिट्टी थी, कितनी मात्रा में मुरम था ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख प्रतिवेदन में नहीं है । कल्पना के आधार पर मूल्यांकन कर जो प्रतिवेदन खनिज निरीक्षक ने प्रस्तुत किया है वह विधान के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य हैं । बिना साक्ष्य के मात्र प्रतिवेदन के आधार पर कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है अतः अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रतिवेदन के आधार पर जो आदेश पारित किए हैं वह निरस्ती योग्य है ।

यह तर्क दिया गया है इस प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से न तो खनिज निरीक्षक के कथन हुए हैं न ही तथाकथित पंचनामे के साक्षियों के कथन हुए हैं । तथाकथित पंचनामे के अनुसार मौके पर कोई अवैध उत्खनन करते हुए नहीं पाया गया, कार्य बंद था। ऐसी स्थिति में प्रतिवेदन में पंचनामे में प्रोकलेन मशीन व डम्फर जप्त कर सुपुदर्गी में देने का जो उल्लेख है वह स्पष्टतः अवैधानिक है । अधीनस्थ न्यायालय ने नैगेटिव बर्डन ऑफ प्रूफ अपीलांट पर डालकर आदेश पारित किया है जबकि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपने मुख्य परीक्षण आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत पेश किए थे तथा समर्थन में दस्तावेज अनुज्ञप्ति पत्र आदेश प्रदर्शित किये थे । अपीलांट की अखंडनीय साक्ष्य पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई विचार नहीं किया है । खनिज निरीक्षक के प्रतिवेदन का साक्षिक मूल्य कुछ नहीं होता है जब तक कि खनिज निरीक्षक स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर कथन से उसे प्रमाणित न करे । खनिज निरीक्षक ने न्यायालय में उपस्थित होकर कोई कथन

नहीं दिए हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के अपने आदेश में खनिज निरीक्षक के तर्क का उल्लेख किया है । ऐसी स्थिति में खनिज निरीक्षक द्वारा दिए गए असत्य प्रतिवेदन के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश और उसकी पुष्टि करने संबंधी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्ती योग्य है । इस संबंध में उनके द्वारा 2005 आर.एन. 107, 1990 आर.एन. 178 का हवाला दिया गया है ।

यह तर्क दिया गया है कि अपीलांट द्वारा जो उत्खनन किया है वह उसे स्वीकृत सर्वे नंबरों में से किया गया है शासन पक्ष द्वारा दुर्भावनापूर्वक सारी असत्य एवं अवैधानिक कार्यवाही की गई थी शासन पक्ष को यह ज्ञात था कि इस अवैधानिक कार्यवाही में जिन व्यक्तियों के पंचनामे पर हस्ताक्षर व कथन हैं वह सही नहीं है इस कारण शासन पक्ष ने न तो पंचनामा साक्षी एवं न ही प्रतिवेदन के साक्षियों का परीक्षण न्यायालय में करवाया है जब तक न्यायालय में साक्ष्य का परीक्षण व प्रतिपरीक्षण नहीं हो जाता तब तक प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार ही नहीं हो सकता है । इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्ती योग्य हैं ।

यह तर्क दिया गया है कि अपीलांट द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपना जबाव एवं साक्ष्य के मुख्य परीक्षण प्रस्तुत किए हैं, खनिज विभाग द्वारा दी गई अनुज्ञप्ति दस्तावेज भी पेश किए है तथा उनको प्रदर्शित किया है किंतु उन पर कोई विचार अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा नहीं किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी का यह कहना कि अपीलांट ने साक्ष्य के रूप में के.के. सिंह के कथन भी करवाए हैं तथा यह उल्लेख किया है कि अपीलांट के पास अपने बचाव में कोई साक्ष्य या प्रमाण नहीं हैं । यह सारी बातें रिकार्ड के विपरीत हैं क्योंकि जब शासन पक्ष ने ही साक्ष्य प्रस्तुत कर अपना पक्ष सिद्ध नहीं किया है, उसके बाद भी अपीलांट ने अपने कथन दिए हैं तथा साक्षियों को तलब करने का आवेदन दिया जो निरस्त हुआ है व अपीलांट की अखंडनीय साक्ष्य पर अधीनस्थ न्यायालयों ने कोई विचार नहीं किया है ।

यह तर्क दिया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिवत कारण बताओ सूचनापत्र नहीं दिया है तथा कारण बताओ सूचनापत्र में विधान अनुसार अवैध उत्खनन का दिनांक, उसका तथ्यात्मक बाजारू मूल्य, अवैध उत्खनन में लाई गई वस्तु तथा अवैध उत्खननकर्ता की उपस्थिति में सीमांकन अनिवार्य है । विचारण न्यायालय द्वारा कारण बताओ सूचनापत्र में न तो अवैध उत्खनन का दिनांक लिखा है न ही अवैध उत्खनन का तथ्यात्मक मूल्य लिख है । इस प्रकार अनिवार्य प्रावधान का कॉई पालन नहीं हुआ है । इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश अवैधानिक होकर निरस्ती योग्य हैं । विचारण न्यायालय ने अपीलांट को जांच प्रतिवेदन की प्रति